



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082026-275295
CG-DL-E-08082026-275295

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4229]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 7, 2026/श्रावण 16, 1948

No. 4229]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 7, 2026/SHRAVAN 16, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2026

का.आ. 4407(अ).—केंद्र सरकार, तटीय पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 20) की धारा 33 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निर्दिष्ट करती है कि उक्त धारा के खंड (क) के अधीन किसी व्यक्ति को कोई दस्तावेज प्रदान करने का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, ई-मेल द्वारा होगा।

[फा. सं. एसआर-20020/2/2020-एमएल-भाग(1)(i)]

वेंकटेशपति एस, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2026

S.O. 4407(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 33 of the Coastal Shipping Act, 2025 (20 of 2025), the Central Government hereby specifies that the electronic means of service of any document to a person, under clause (a) of the said section shall be by e-mail.

[F. No. SR-20020/2/2020-ML-Part(1)(i)]

VENKATESAPATHY S, Jt. Secy.